रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-01092026-275891
SG-DL-W-01092026-275891

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] दिल्ली, अगस्त 7— अगस्त 13, 2026, बृहस्पतिवार/ श्रावण 16—श्रावण 22, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 165, 166
No. 12] DELHI, AUGUST 7 — AUGUST 13, 2026, THURSDAY/ SHRAVAN 16—SHRAVAN 22, 1948 [N.C.T.D. No. 165, 166

भाग—II खण्ड—1
PART—II Sec.—1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 29 मई, 2026

सं. 44/ई.I-4/स्था.-I/डी.एच.सी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश 'दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 1972' की अनुसूची-II (क) में क्रम संख्या 24 (क) में निम्नलिखित संशोधन सहर्ष करते हैं जो कि निम्न प्रकार से पढ़े जाएंगे:-

क्रम सं.	पद की श्रेणी एवं वेतन स्तर	पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं	नियुक्ति की विधि
24 (क)	**वरिष्ठ प्रोसेस सर्वर (पदोन्नति का पद)** (7वें वेतन आयोग का वेतन स्तर-7)	**उच्च न्यायालय की स्थापना के सदस्यों हेतु:** अनुसूची-I (क) में वर्णित डिस्पैच राइडर-सह-प्रोसेस सर्वर की श्रेणी में स्नातक के साथ **3 वर्ष की सेवा** अथवा हाई स्कूल/मैट्रिक के साथ **5 वर्ष की सेवा।**	कॉलम सं. 3 में निर्दिष्ट डिस्पैच-राइडर-सह-प्रोसेस सर्वर की श्रेणी से वरिष्ठता-सह-**उपयुक्तता** के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

नोट : उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 29th May, 2026

No. 44/EI-4/Estt.-I/DHC.—In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice of this Court has been pleased to amend Sl. Nos. 24 (a) of the Schedule-II (A) to the 'Delhi High Court Establishment (Appointment & Conditions of Service) Rules, 1972' so as to read as under:-

S. No.	CATEGORY OF POST AND PAY LEVEL	MINIMUM QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR APPOINTMENT TO THE POSTS	MODE OF APPOINTMENT
24 (a)	**Senior Process Server (Promotion Post)** (Pay level-7 of 7th Pay Commission)	**For members of the Establishment of the High Court:** Graduate with **3 years' service** or High School/Matric with **5 years' service** in the category of Despatch Rider-cum-Process Server mentioned in Schedule- I (A)	By promotion from the category of Despatch Rider-cum-Process Server specified in Column 3, on the basis of seniority-cum-suitability.

Note: The above amendment shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 30 मई, 2026

सं. 46/ई.1-4/स्था.-1/डी.एच.सी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश 'दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 1972' की अनुसूची-II (क) में क्रम संख्या 28 एवं 29 में निम्नलिखित संशोधन सहर्ष करते हैं जो कि निम्न प्रकार से पढ़े जाएंगे:-

क्र.सं.	पद की श्रेणी एवं वेतन स्तर	पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं	नियुक्ति की विधि	
1	2	3	4	
28.	**डिस्पैच वैन चालक (राइडर) (चयन पद)** (7वें वेतन आयोग का वेतन स्तर-5)	**क. उच्च न्यायालय की स्थापना के सदस्यों के लिए:**अनुसूची-I(क) में वर्णित श्रेणी 32 (पुस्तकालय	क.	**पदों का 40%** कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट पदों की श्रेणियों के पदधारकों में से **लिखित परीक्षा, वाहन चालन में कौशल परीक्षा**

		परिचारक), 33 (अशर), 34 (फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर ग्रेड-II), 35 (न्यायालय परिचारक), 36 [न्यायालय परिचारक (एल)], 37 [न्यायालय परिचारक (एस)], 38 [कक्ष परिचारक (एच)] तथा 39 (सुरक्षा परिचारक) में से किसी भी श्रेणी में, तथा **दिल्ली उच्च न्यायालय विभागीय कैंटीन कर्मचारियों के (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2017** की अनुसूची-I में वर्णित श्रेणी 2 (सहायक प्रबंधक-सह-भंडारपाल), 3 (रसोइया), 4 (लिपिक), 5 (सहायक रसोइया) तथा 6 (कैंटीन परिचारक) में से किसी भी श्रेणी में **3 वर्ष की सेवा के** साथ **हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस** तथा इस कार्य क्षेत्र में **2 वर्ष का निष्कलंक अनुभव। जो अभ्यर्थी तीन-पहिया वैन तथा मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं उन्हें वरीयता दी जाएगी।**		**तथा साक्षात्कार**** के आधार पर **चयन द्वारा,** ऐसा न होने पर, **शॉफर या डिस्पैच राइडर** के पद के पदधारकों में से **स्थानांतरण द्वारा**।
		ख. सीधी भर्ती से आने वाले कर्मचारियों हेतु: मेट्रिक/उच्च माध्यमिक के साथ, हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस तथा इस कार्य क्षेत्र में 2 वर्ष का निष्कलंक अनुभव। **टिप्पणी:** डिस्पैच वैन चालक (राइडर) से शौफर अथवा डिस्पैच राइडर के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जा सकता है।	**ख.**	**पदों का 60% लिखित परीक्षा, वाहन चालन में कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार**** के आधार पर **चयन द्वारा**।
29.	**डिस्पैच राइडर (चयन पद)** (7वें वेतन आयोग का वेतन स्तर-5)	**क. उच्च न्यायालय की स्थापना के सदस्यों के लिए:** अनुसूची-I(क) में वर्णित श्रेणी 32 (पुस्तकालय परिचारक), 33 (अशर), 34 (फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर ग्रेड-II), 35 (न्यायालय परिचारक), 36 [न्यायालय परिचारक (एल)], 37 [न्यायालय परिचारक (एस)], 38 [कक्ष परिचारक (एच)] तथा 39 (सुरक्षा परिचारक) में से किसी भी श्रेणी में, तथा **दिल्ली उच्च न्यायालय विभागीय कैंटीन कर्मचारियों के (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2017** की अनुसूची-I में वर्णित श्रेणी	**क.**	**पदों का 50%** कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट पदों की श्रेणियों के पदधारकों में से **लिखित परीक्षा, वाहन चालन में कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार**** के आधार पर **चयन द्वारा,** ऐसा न होने पर, **शॉफर या डिस्पैच राइडर** के पद के पदधारकों में से **स्थानांतरण द्वारा**।

		2 (सहायक प्रबंधक-सह-भंडारपाल), 3 (रसोइया), 4 (लिपिक), 5 (सहायक रसोइया) तथा 6 (कैंटीन परिचारक) में से किसी भी श्रेणी में **3 वर्ष की सेवा के** साथ **हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस** तथा इस कार्य क्षेत्र में **2 वर्ष का निष्कलंक अनुभव। जो अभ्यर्थी तीन-पहिया वैन तथा मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी।**		
		ख. सीधी भर्ती से आने वाले कर्मचारियों हेतु: मेट्रिक/उच्च माध्यमिक के साथ, हलके मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस तथा इस कार्य क्षेत्र में 2 वर्ष का निष्कलंक अनुभव। **टिप्पणी:** डिस्पैच राइडर से शौफर अथवा डिस्पैच वैन चालक (राइडर) के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जा सकता है।	**ख.**	**पदों का 50% लिखित परीक्षा, वाहन चालन में कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार**** के आधार पर **चयन।**

**विभागीय परीक्षा के साथ ही सीधी भर्ती, के माध्यम से नियुक्ति करते समय, मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार के अंक लिखित परीक्षा के कुल अंकों के 15% से अधिक नहीं होंगे।

**साक्षात्कार में कोई न्यूनतम अहर्क अंक नहीं होंगे।

टिप्पणी: उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

NOTIFICATION

Delhi, the 30th May, 2026

No. 46/EI-4/Estt.-I/DHC.— In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice of this Court has been pleased to amend Sl. Nos. 28 and 29 of the Schedule-II (A) to the 'Delhi High Court Establishment (Appointment & Conditions of Service) Rules, 1972' so as to read as under:-

S. No.	CATEGORY OF POST AND PAY LEVEL	MINIMUM QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR APPOINTMENT TO THE POSTS	MODE OF APPOINTMENT	
1	2	3	4	
28.	**Despatch Van Driver (Rider)** **(Selection Post)** (Pay level-5 of 7th Pay Commission)	**a.** For members of Establishment of the High Court : 3 years service in any of the categories of 32 (Library Attendant), 33 (Usher), 34 (Photocopy Machine Operator Grade-II), 35 (Court Attendant), 36 [Court Attendant (L), 37 [Court Attendant (S)], 38 [Room Attendant (H)], and 39 (Security Attendant) mentioned in Schedule-I(A) and categories of 2 (Assistant Manager-cum-Store Keeper), 3 (Cook), 4	**a.**	40% of the posts by selection from incumbents of categories of posts specified in Column 3 on the basis of Written test, skill test in driving and interview**, failing which by transfer from incumbents

		(Clerk), 5 (Assistant Cook) and 6 (Canteen Attendant) of Schedule-I to the Delhi High Court Departmental Canteen Employees' (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2017 with driving licence of light motor vehicle and 2 years unblemished experience in the line. Preference to be given to the candidates who can also drive the three wheeler van and the motor cycle.		of the post of Chauffeur and Despatch Rider.
		b. For direct recruits: Matric / Higher Secondary with driving licence of light motor vehicles and 2 years unblemished experience in the line. **Note:** The Despatch Van Driver (Rider) can be asked to perform the duties of Chauffeur or Despatch Rider.	**b.**	60% of the posts by selection on the basis of written test, skill test in driving and interview**.
29.	**Despatch Rider** **(Selection Post)** (Pay level-5 of 7th Pay Commission)	**a.** For members of Establishment of the High Court : 3 years service in any of the categories of 32 (Library Attendant), 33 (Usher), 34 (Photocopy Machine Operator Grade-II), 35 (Court Attendant), 36 [Court Attendant (L), 37 [Court Attendant (S)], 38 [Room Attendant (H)], and 39 (Security Attendant) mentioned in Schedule-I(A) and categories of 2 (Assistant Manager-cum-Store Keeper), 3 (Cook), 4 (Clerk), 5 (Assistant Cook) and 6 (Canteen Attendant of Schedule-I to the Delhi High Court Departmental Canteen Employees' (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2017 with driving licence of light motor vehicle and 2 years unblemished experience in the line. Preference to be given to the candidates who can also drive the three wheeler van and the motor cycle.	**a.**	50% of the posts by selection from incumbents of categories of posts specified in Column 3 on the basis of Written test, skill test in driving and interview**, failing which by transfer from incumbents of the post of Chauffeur and Despatch Van Driver (Rider).
		b. For direct recruits : Matric / Higher Secondary with driving licence of light motor vehicles and 2 years unblemished experience in the line. **Note:** The Despatch Riders can be asked to perform the duties of Chauffeur or Despatch Van Driver (Rider).	**b.**	50% of the posts by selection on the basis of Written test, skill test in driving and interview**.

** Viva-voce/interview marks shall not be more than 15% of the total marks of the written examination while making appointment through departmental examination as well as direct recruitment.

** There will be no minimum qualifying marks in the interview.

Note: The above amendment shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.09.01 11:54:53 +05'30'